# U.P. HIGHER JUDICIAL SERVICE (MAIN) 2018

**(Part 01)**

**Law-II (Procedure and Evidence)**

**विधि - II ( प्रक्रिया एवं साक्ष्य )**

**Time – 3 Hours** **Markes - 200**

1-A Prabhat Ranjan, son of Ram Ranjan, resident of village Jhoonsi, District Prayagraj (UP), owner of the land in dispute, passed away in 1957, after the coming into force of the Hindu Succession Act, 1956. Before his demise, Prabhat Ranjan executed a registered will deed dated 08.06.1956 bequeathing a life interest in his estate to his widow Smt. Deepa. Smt. Deepa executed a sale-deed, dated 07.06.1974 alienating the land in dispute, in favour of Shri Chandra Mohan.
Smt. Kamla filed a suit, pleading that the will dated 08.06.1956 confers a limited estate upon Smt. Deepa, she had no right to alienate the land in dispute and prayed for a decree of joint possession.
The defendant Shri Chandra Mohan filed a written statement denying the will and pleaded that Smt. Deepa inherited the property in dispute, as a natural heir she is an absolute owner. In alternative, defendant Chandra Mohan also pleaded that even if the will is proved, Smt. Deepa, widow of Prabhat Ranjan has become absolute owner and is, therefore, competent to alienate the land in dispute. He also asserted his rights as a bonafide purchaser, for valuable consideration, without notice of any defect in the title of his vendor and prayed that the suit may be dismissed.
On basis of the pleadings above, frame all necessary issues for adjudication.
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के लागू होने के बाद वर्ष 1957 में प्रभात रंजन पुत्र राम रंजन निवासी ग्राम झूसी, जनपद प्रयागराज (उ0प्र0), विवादित भूमि के स्वामी की मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पूर्व, प्रभात रंजन ने अपनी विधवा श्रीमती दीपा को अपनी भू-सम्पत्ति में आजीवन हित प्रदान करते हुए एक पंजीकृत वसीयत दिनांकित 08.06.1956 निष्पादित की। श्रीमती दीपा ने विवादित भूमि का श्री चन्द्रमोहन के पक्ष में अन्य संक्रामण करते हुए एक विक्रय - विलेख दिनांकित 07.06.1974 निष्पादित किया ।
श्रीमती कमला ने यह अभिवाक् करते हुए एक वाद दायर किया कि वसीयत दिनांकित 08.06. 1956 श्रीमती दीपा को सीमित भू-सम्पत्ति प्रदान करती है, उसे विवादित भूमि का अन्य संक्रामण करने का कोई अधिकार नहीं था तथा उसने संयुक्त कब्जे की एक आज्ञप्ति के लिए याचना की।
प्रतिवादी श्री चन्द्रमोहन ने इस वसीयत को नकारते हुए प्रतिवाद पत्र दाखिल किया और अभिवाक् किया कि श्रीमती दीपा ने विवादित सम्पत्ति को विरासत में प्राप्त किया, एक नैसर्गिक उत्तराधिकारी के रूप में वह एक पूर्ण स्वामिनी है। वैकल्पिक रूप में, प्रतिवादी चन्द्रमोहन ने यह भी अभिवाक किया कि यदि वसीयत सिद्ध हो भी जाती है तो भी श्रीमती दीपा विधवा प्रभात रंजन पूर्ण स्वामिनी बन गई है और इसलिए वह विवादित भूमि का अन्य संक्रामण करने में सक्षम है। उसने अपने अधिकार उचित प्रतिफल के बदले सदभावपूर्वक क्रेता के रूप में उचित विक्रेता द्वारा उसके स्वत्व को त्रुटि ना होने का अभिवाक् किया एवम् वाद को खण्डित करने की प्रार्थना की।
उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर न्याय निर्णयन के लिए आवश्यक सभी वाद बिन्दुओं को विरचित कीजिए ।

[20]

1-B 'D', a member of scheduled caste submitted a written report at Police Sation, Rajgarh on May 3rd, 2018 at about 7.30 PM, mentioning therein that in the morning of 3rd of May, 2018 his daughter baby 'A' aged 4 years, went to the residence of his younger brother, residing in neighborhood. Baby 'A' left the house of his brother at about 10 AM on the same day to return to home, but she did not reach there for good about 45 hours. During the course of her search, it was noticed that 'J' a juvenile son of 'K', was covering some object by sand in a pit situated in the courtyard of his house. 'J' was appearing to be frightened, therefore little enquiry was made from him. He tried to runaway from the spot but failed. In his presence, on removal of sand, dead body of Baby 'A' was found. Trembled 'J' disclosed that his father 'K' brought Baby 'A' to his house by alluring her for sweets. 'K' then prompted 'J' to commit rape with the girl and he committed that. Subsequently, 'K' also committed rape with her. The girl then was killed with the aid of a knife.
On basis of the written report a case was registered, accused 'K' was arrested, 'J' too was initially arrested but being juvenile his case was referred to Juvenile Justice Board. During the course of investigation inquest was made, certain articles were seized, a blood stained knife was recovered on basis of the information given by accused 'K' and the dead body of Baby 'A' was subjected to autopsy, according to that vagina of the victim girl was swallowed and highly wounded and was full of blood and other fluid.
After completion of the investigation, a police report was filed before the competent Court. The case then was committed to the Court of Special Judge, Scheduled Castes/Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1985.
On basis of the facts given above, necessary charges relating to the offence alleged to have been committed be framed.
'D' अनुसूचित जाति के एक सदस्य ने 3 मई 2018 को करीब 7:30 बजे सायं थाना राजगढ़ में यह उल्लेख करते हुए एक लिखित तहरीर दाखिल की कि 3 मई 2018 की सुबह उसकी पुत्री बालिका 'A' आयु 4 वर्ष पड़ोस में रहने वाले उसके छोटे भाई के आवास पर गई थी । बालिका 'A' उसी दिन घर वापस आने के लिए सुबह करीब 10 बजे उसके भाई के मकान से चली, किन्तु वह 4-5 घण्टे के लम्बे अन्तराल के पश्चात् भी वहाँ नहीं पहुँची। उसकी खोज के दौरान, यह देखा गया कि 'J' एक किशोर पुत्र 'K' अपने मकान के आँगन में स्थित एक खड्डे में रेत से किसी वस्तु को ढंक रहा था। 'J' भयभीत लग रहा था इसलिए उससे थोड़ी पूछताछ की गई। उसने मौके से भागने का प्रयास किया किन्तु असफल रहा। उसकी उपस्थिति में रेत हटाने पर बालिका 'A' का शव पाया गया। घबराये हुए 'J' ने बताया कि



Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

उसके पिता 'K' मिठाई का लालच देकर बालिका 'A' को उसके घर लाये थे, उसके पश्चात् 'K' ने 'J' को उस लड़की के साथ बलात्कार कारित करने के लिए प्रेरित किया तथा उसने वह कारित किया। तत्पश्चात् 'K' ने भी उसके साथ बलात्कार कारित किया। उसने पश्चात् लड़की की एक चाकू द्वारा हत्या कर दी गई।
इस तहरीर के आधार पर एक वाद पंजीकृत किया गया। अभियुक्त 'K' को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रारम्भिक रूप से 'J' को भी गिरफ्तार कर लिया गया किन्तु किशोर होने के कारण उसके वाद को किशोर न्याय बोर्ड को निर्दिष्ट कर दिया गया। विवेचना के दौरान पंचायतनामा तैयार किया गया, कतिपय वस्तुओं को जब्त कर लिया गया, अभियुक्त 'K' द्वारा दी गई सूचना के आधार पर रक्तरंजित चाकू बरामद किया गया तथा बालिका 'A' के शव को शव परीक्षण हेतु भेजा गया जिसके अनुसार पीड़ित लड़की की योनि में सूजन थी और बुरी तरह से चोटिल थी और रक्त एवं अन्य तरल पदार्थों से भरी थी ।
विवेचना पूर्ण होने के पश्चात्, सक्षम न्यायालय के समक्ष एक पुलिस रिपोर्ट दाखिल की गई । उसके पश्चात् इस वाद को न्यायालय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1985 के सुपुर्द किया गया ।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर कथित रूप से कारित किये गये अपराध से संबंधित आरोप विरचित करें।

[20]

1-C On 21.02.2011, a written report was submitted by Shankar Lal at Police Station Sonebhadra with assertion that in the intervening night of 20.02.2011 and 21.02.2011 a dinner was organised to celebrate a local festival for about 200 persons, including the complainant and his younger brother Nandu Due to shortage of food material some altercation took place between organisers and Nandu and in the course of that a lathi blow was given by Chandu on the head of Nandu. Nandu fell down and died at the spot.
On basis of the information given, a case was lodged and investigation commenced. A report of inquest was made, lathi, the weapon of offence was recovered and autopsy was conducted on the corpus of deceased Nandu. As per the report of post mortem, deceased had single injury on head and cause of death was respiratory failure due to head injury.
On completion of the investigation, a police report was filed. After hearing the accused, a charge was framed and on denial of the same, trial commenced as desired by accused Chandu. The prosecution supported its case by adducing medical evidence through Dr. Jay, eye witness Shankar Lal and Vijay, the Investigating Officer who proved all the documents prepared during the course of investigation including recovery memo of lathi. All the witnesses supported prosecution case. Opportunity was given to the accused to explain adverse and incriminating circumstances against him in the evidence.
On basis of the facts stated above, write a judgment giving details of the charge framed and further conviction of the accused for an appropriate offence.
21.02.2011 को शंकर लाल द्वारा थाना सोनभद्र में इस प्राख्यान के साथ एक तहरीर दाखिल की गई कि 20.02.2011 एवं 21.02.2011 की मध्यवर्ती रात्रि में वादी एवं उसके छोटे भाई नंदू सहित लगभग 200 व्यक्तियों हेतु एक स्थानीय उत्सव मनाने के लिए एक रात्रिभोज का आयोजन किया गया था। खाद्य सामग्री के अभाव के कारण आयोजकों एवं नंदू के बीच कुछ कहा-सुनी हो गयी और उसके दौरान चंदू द्वारा नंदू के सिर पर लाठी से एक वार कर दिया गया। नंदू नीचे गिर गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी ।
दी गयी सूचना के आधार पर एक वाद दर्ज किया गया और विवेचना प्रारंभ की गयी। एक पंचायतनामा तैयार किया गया, लाठी, जिससे अपराध कारित किया गया, बरामद की गयी और मृतक नंदू के शव का शवपरीक्षण किया गया। शवपरीक्षण आख्या के अनुसार मृतक के सिर पर एकल चोट थी और मृत्यु का कारण सिर की चोट की वजह से श्वसन बंद होना था ।
विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस आख्या दाखिल की गयी । अभियुक्त को सुनने के बाद आरोप विरचित किया गया और उसके नकारे जाने पर अभियुक्त चंदू की इच्छा अनुरूप विचारण प्रारंभ हुआ। अभियोजन ने डॉ० जय के माध्यम से चिकित्सीय साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शी साक्षी शंकर लाल एवं विजय, विवेचना अधिकारी जिसने लाठी की फर्द बरामदगी सहित विवेचना के दौरान तैयार किए गए सभी दस्तावेजों को सिद्ध किया, प्रस्तुत करते हुए अपने पक्ष को समर्थित किया। सभी साक्षियों ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया। अभियुक्त को साक्ष्य में उसके विरूद्ध प्रतिकूल एवं अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने का अवसर दिया गया।
उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विरचित आरोप तथा आगे उचित अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि का विवरण देते हुए निर्णय लिखिए ।

[30]

2-A Write a short note on following:
निम्नलिखित पर लघु टिप्पणी लिखिए:

1. Law relating to "Public nuisance" under Section 133 of the Code of Criminal Procedure, 1973.
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 133 के अन्तर्गत "लोक अपदूषण (न्यूसेन्स)" से संबंधित विधि |

[5]

2. Power of Court during course of any inquiry or trial of an offence to proceed against other person appearing to be guilty of the offene.
किसी अपराध की जांच या विचारण के दौरान अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु न्यायालय की शक्ति |

[5]

3. Contents of charge under Code of Criminal Procedure, 1973.
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत आरोप की अन्तर्वस्तु ।

[5]

4. Report of Police Officer on completion of investigation.



Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

विवेचना पूर्ण होने पर पुलिस अधिकारी की आख्या ।

[5]

2-B 1. Discuss in detail the procedure in case of person of unsound mind tried before court.
न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृतचित्त होने की दशा में प्रक्रिया की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिए ।

[10]

2. Discuss the provision relating to arrest of person to prevent the commission of cognizable offence.
संज्ञेय अपराध के कारित होने से रोकने के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार करने संबंधी प्रावधान की विवेचना कीजिए ।

[10]

3. Procedure for attachment of property of person absconding.
फरार व्यक्ति की सम्पत्ति की कुर्की की प्रक्रिया ।

[10]

3. 1. What is the scope of compromise in civil suits? Whether such property could be included in the compromise, which is not subject matter of the suit? What extent Principle of Estoppel applies in cases of compromise? Describe.
सिविल वादों में संधिपत्र का विस्तार क्या है ? क्या संधिपत्र में ऐसी सम्पत्ति सम्मिलित की जा सकती है जो वाद की विषय वस्तु नहीं है ? संधिपत्र के मामले में विबंध का सिद्धान्त कहाँ तक लागू होता है ? वर्णन कीजिये ।

[10]

2. Distinguish between Res-judicata and Res-subjudice. Whether principle of Res-judicata would be applicable against Co-defendants?
प्राङ्न्याय एवं विचाराधीन न्याय में विभेद कीजिये | क्या सहप्रतिवादियों के मध्य प्राङ्न्याय का सिद्धान्त लागू होगा ?

[10]

3. What is Test Identification Parade of accused and its evidentiary value? Discuss with reference to relevant provisions of Criminal Procedure Code, 1973, and Indian Evidence Act, 1872.
अभियुक्त की शिनाख्त परेड तथा इसका साक्ष्य में क्या मूल्य है ? दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में इस बारे में दिये गये सम्बंधित प्रावधानों के सन्दर्भ में विवेचना करें।

[10]

4. Write short note on following :
निम्नलिखित पर लघु टिप्पणियाँ लिखें :

a. Substituted service.
प्रतिस्थापित तामील ।

[5]

b. Reference to High Court under Part VIII of the Code of Civil Procedure, 1908.
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के भाग VIII के अंतर्गत उच्च न्यायालय को निर्देश ।

[5]

5. 1. What are the special provisions in the Indian Evidence Act, 1872 regarding admissibility of electronic record? In what circumstances, information contained in an electronic record can be accepted in evidence in the proceedings before a Court? Discuss with reference to relevant provisions.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की ग्राह्यता के बारे में क्या विशेष प्रावधान किये गये है? किसी न्यायालय के सम्मुख कार्यवाही के दौरान किन परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में उपलब्ध सूचना साक्ष्य में स्वीकार की जा सकती है ? सम्बंधित प्रावधानों के सन्दर्भ में विवेचना करें।

[10]

2. Who is accomplice ? Can conviction of an accused be recorded on the testimony of an accomplice? In what circumstances, pardon can be tendered to an accomplice ? Discuss in the context of Section 306 of the Code of Criminal Procedure, 1973 and Section 133 of the Indian Evidence Act. 1872.
सह- अपराधी कौन है ? क्या किसी अभियुक्त को सह-अपराधी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध किया जा सकता है ? किन परिस्थितियों में सह- अपराधी को क्षमादान दिया जा सकता है ? दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 306 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 133 के सन्दर्भ में विवेचना करें।

[10]

3. What is "Plea of alibi" ? Describe nature and extension of its burden of proving. Explain effect of its failure on the case of prosecution.
"अन्यत्र होने का अभिवाक" क्या है ? इसके सिद्ध भार की प्रकृति व विस्तार का वर्णन कीजिए। इसकी असफलता का अभियोजन केस पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए ।

[10]

4. What do you understand by "Hostile witness" ? What is the value of the evidence given by a hostile witness?



Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India (UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)

"पक्षद्रोही साक्षी" से आप क्या समझते हैं ? पक्षद्रोही साक्षी द्वारा दिये गये साक्ष्य का क्या मूल्य है ?

[10]



Scan this QR Code to Linking Laws BIOs
www.LinkingLaws.com
Linking Laws Tansukh Sir
Get Subscription Now
Linking Laws is a Professional Institute provide AI based Smart Preparation for Judicial Service Exams & other Law Related Exam in India
(UP PCS(J), RJS, MPCJ, CG PCS(J), DJS, BJS, APO, ADPO, JLO, APP etc.)